FORM NO 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– हनुमान बनाम लेखराम आदि

धारा :– 88 आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– ....8.5.... /2018

ब	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
.2018	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30.4.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो। (Sd/-)	
18.5.18	पत्रावली कैम्प कैनावाली में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल रहेगा। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। आदेश सुनाया गया। (Sd/-) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	हनुमान प्रसाद लेखराम महावीर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सरकार

3

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-80/2018

हनुमान पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

--वादी

बनाम

1. लेखराम पुत्र श्री माडूराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सिलोचना पत्नी श्री दीपचन्द पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

--प्रतिवादीगण

उपस्थित :-1-श्री भवानी सिंह निर्वाण अधिवक्ता-वादी की ओर से

2-श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से

3-राजपैरोकार स्टेट - प्रतिवादी संख्या 5

:: निर्णय :: दिनांकः- 18.5.18

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का संक्षेप में इस प्रकार पेश किया कि है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नंबर-10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-113/109 पत्थर नंबर 171/369 (13) किला नंबर 6/1, 7/1, 13 से 18, 21 ता 23 कुल 2.343 हैक्टेयर अनकमाण्ड व चक नंबर-7 आर.पी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-73/49 पत्थर नंबर 164/360 (33) किला नंबर 11/4, 12/1, 13/1, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23 कुल 1.835 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जन्म से हक व अधिकार है। प्रतिवादिया संख्या 3 वादपत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है जिसने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तर्क किया हुआ है, इसलिए वादपत्र की धारा 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

--2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

वादी को 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि विभाजन में प्राप्त हुई है जिस पर वादी काबिज काश्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम भूमि दर्ज होने के कारण वादी के हक हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण वादी का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार है जिसकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी व दावेदार है। अतः वाद वादी स्वीकार कर घोषणा की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि चक नंबर–10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–113/109 पत्थर नंबर 171/369 (13) किला नंबर 6/1, 7/1, 13 से 18, 21 ता 23 कुल 2.343 हैक्टेयर अनकमाण्ड व चक नंबर–7 आर.पी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–73/49 पत्थर नंबर 164/360 (33) किला नंबर 11/4, 12/1, 13/1, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23 कुल 1.835 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। मुताबिक घोषणा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

उभय पक्ष वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या–1 से 3 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पचांयत व मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नंबर–10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–113/109 पत्थर नंबर 171/369 (13) किला नंबर 6/1, 7/1, 13 से 18, 21 ता 23 कुल 2.343 हैक्टेयर अनकमाण्ड व चक नंबर–7 आर.पी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–73/49 पत्थर नंबर 164/360 (33) किला नंबर 11/4, 12/1, 13/1, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23 कुल 1.835 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है, जिसमें प्रतिवादिया संख्या 3 अपना कोई हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है जिसने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तर्क किया हुआ है, उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ है। मुताबिक बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण कृषि भूमि पर काश्त कर रहे है। उक्त वर्णित चक नंबर–10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–113/109 पत्थर नंबर 171/369 (13) किला नंबर 6/1,

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

7/1, 13 से 18, 21 ता 23 कुल 2.343 हैक्टेयर अनकमाण्ड व चक नंबर–7 आर.पी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–73/49 पत्थर नंबर 164/360 (33) किला नंबर 11/4, 12/1, 13/1, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23 कुल 1.835 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करने में हम मिकरान को कोई आपत्ति नहीं है व राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण कर डिक्री किया जावें।

पत्रावली में उभय पक्षों को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए वादपत्र वादी डिक्री किये जाने में प्रतिवादी संख्या 5 को कोई एतराज व आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रकरण में वर्णित भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है, पैतृक सम्पति है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण वादी का उक्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है। चूंकि अब उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है। प्रतिवादिया संख्या 3 जो वादी की बहिन है, उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती। मुताबिक राजीनामा चक नंबर–10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–113/109 पत्थर नंबर 171/369 (13) किला नंबर 6/1, 7/1, 13 से 18, 21 ता 23 कुल 2.343 हैक्टेयर अनकमाण्ड व चक नंबर–7 आर.पी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–73/49 पत्थर नंबर 164/360 (33) किला नंबर 11/4, 12/1, 13/1, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23 कुल 1.835 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करने में मिकरान को कोई आपत्ति नही है, ऐसा राजीनामा में जाहिर किया गया तथा मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादपत्र में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चाहा गया है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति में दावा में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होने के कारण तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने में उभय पक्ष सहमत होने के कारण दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नंबर–10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनमानगढ़

--4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

6

संख्या–113/109 पत्थर नंबर 171/369 (13) किला नंबर 6/1, 7/1, 13 से 18, 21 ता 23 कुल 2.343 हैक्टेयर अनकमाण्ड व चक नंबर–7 आर.पी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–73/49 पत्थर नंबर 164/360 (33) किला नंबर 11/4, 12/1, 13/1, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23 कुल 1.835 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। वाद व्यय उभय पक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़।

सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी मुकाम हनुमानगढ़।

बईजलास:– श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

हनुमान बनाम लेखराम आदि

दावा बाबत् 88 आरटीए मुकदमा नंबर 80/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री भवानी सिंह निर्वाण एडवोकेट मुदई व श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण मुदायलेहम पेश होकर हुकम दिया जाता है कि चक नंबर–10 एम.जेड.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–113/109 पत्थर नंबर 171/369 (13) किला नंबर 6/1, 7/1, 13 से 18, 21 ता 23 कुल 2.343 हैक्टेयर अनकमाण्ड व चक नंबर–7 आर.पी.सी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–73/49 पत्थर नंबर 164/360 (33) किला नंबर 11/4, 12/1, 13/1, 18, 19, 20/2, 21/2, 22, 23 कुल 1.835 हैक्टेयर कमाण्ड व अनकमाण्ड कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

सत्यमेव जयते

लीज– X –मुवलिग– X –बाबत् – / –खर्चा इस

मुकदमें के मय सूद बशरह– – – – X – – – –से

तारीख वसूलयाबी तक– – – X – – –

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 18.5.18 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

हनुमान पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––वादी

बनाम

1. लेखराम पुत्र श्री माडूराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सिलोचना पत्नी श्री दीपचन्द पुत्री लेखराम जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

––प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner